

फा.सं.ए.12028/01/2023-डीआरएस  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग  
(औषध विनियमन अनुभाग)

\*\*\*\*

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 6 मार्च, 2023

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषध प्रयोगशाला (सीडीएल), कोलकाता, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक तथा कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्मेकोलॉजी) के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों के मसौदों को तैयार कर लिया गया है, जिनकी प्रति संलग्न हैं।

2. इन्हें अंतिम रूप से तैयार करने से पूर्व, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणी, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के अन्दर आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से विनिर्दिष्ट समय के अन्दर प्राप्त होनेवाली टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियम/अपेक्षा के अनुसार भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा।

3. अपने टिप्पणियाँ कृपया अधोहस्ताक्षरी को, कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110011 के पते अथवा [bikash.mahato@nic.in](mailto:bikash.mahato@nic.in) पर भेजें।

संलग्नक:/यथोपरि



(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष-011 : 23061141

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी- (फार्मेकोलॉजी)	01* (2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा/ समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-11	चयन	लागू नहीं होता।
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)			(8)		(9)
लागू नहीं होता।			लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।
भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना			भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)			(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी(फार्मेकोलॉजी) जिन्होंने स्तर-8 की उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य ;			संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

	<p>क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ अर्ध-सरकारी/स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 के पद या समकक्ष पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 के पद या समकक्ष पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या</p> <p>(ख) निम्नलिखित विहित किये गये अनिवार्य/वांछनीय शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखते हैं :</p> <p>अनिवार्य:</p> <p>1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मेकोलॉजी या फार्मेसी में मास्टर डिग्री।</p> <p>अनुभव:</p>	<p>3. निदेशक,स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली - सदस्य;</p> <p>4. औषध नियंत्रक(भारत)/संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) - सदस्य ;</p>	
--	--	--	--

	<p>औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>		
--	--	--	--

[फा.सं. ए.12028/01/2023-डीआरएस]

(बिकाश आर माहतो)  
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी- (फार्मेकोलॉजी)	02* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा/ समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-8	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग /कर्मचारी चयन आयोग द्वारा द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)			(8)		(9)
<p>अनिवार्य :</p> <p>1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मेकोलॉजी या फार्मेसी में मास्टर डिग्री।</p> <p>2. औषध परीक्षण और मानकीकरण में अठारह माह का अनुभव तथा फार्मेकोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित</p>			लागू नहीं होता।		सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

<p>जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			
<p>भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(10)</p>	<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>प्रोन्नति द्वारा 50% जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा 50% सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति: ऐसे वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक(फार्मेकोलॉजी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 की श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ अर्ध-सरकारी/स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के पद या समकक्ष पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि हेतु): समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ का कोई प्रतिनिधि - सदस्य; 3. औषध नियंत्रक(भारत) / संयुक्त</p>	<p>सीधी भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

	<p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 के पद या समकक्ष पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या</p> <p>(ख) निम्नलिखित विहित किये गये अनिवार्य/वांछनीय शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखते हैं :</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>औषध नियंत्रक (भारत) - सदस्य;</p> <p>4. निदेशक, सीडीएससीओ के अधीन कोई भी प्रयोगशाला - सदस्य</p>	
--	---	---	--

[फा.सं. ए.12028/01/2023-डीआरएस]

(बिकाश आर माहतो)  
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्मेकोलॉजी)	03* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा/समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-7	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग /कर्मचारी चयन आयोग द्वारा द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)			(8)		(9)
<p>अनिवार्य अर्हता:</p> <p>क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मेकोलॉजी या फार्मेसी में मास्टर डिग्री।</p> <p>ख). औषध विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के</p>			आयु – नहीं शैक्षिक अर्हता - नहीं		दो वर्ष।

<p>विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			
<p>भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(10)</p>	<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तथा 66% सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति: ऐसे कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक(फार्मेकोलॉजी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ अर्ध-सरकारी/स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के पद या समकक्ष पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. औषध नियंत्रक(भारत) / संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) - सदस्य; 3. निदेशक, केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला,कोलकाता - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

	<p>के पद या समकक्ष पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या</p> <p>(ख) निम्निलिखित विहित किये गये अनिवार्य/वांछनीय शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखते हैं :</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>		
--	---	--	--

[फा.सं. ए.12028/01/2023-डीआरएस]

(बिकाश आर माहतो)  
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्मेकोलॉजी)	02* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा/समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर-6	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)			(8)		(9)
अनिवार्य अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मेकोलॉजी या फार्मेसी में मास्टर डिग्री। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम में			लागू नहीं होता।		दो वर्ष।

<p>कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			
<p>भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(10)</p>	<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>50% प्रोन्नति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति: ऐसे वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक/तकनीकी सहायक जिन्होंने मैट्रिक्स के स्तर-5 की श्रेणी में न्यूनतम छह वर्ष की सेवा की है।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष;</li> <li>2. औषध नियंत्रक(भारत) / संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) - सदस्य;</li> <li>3. निदेशक, केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकाता - सदस्य</li> </ol>	<p>लागू नहीं होता है।</p>

[फा.सं. ए.12028/01/2023-डीआरएस]

(बिकाश आर माहतो)  
अवर सचिव, भारत सरकार